

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 73/2021 अपील सू.प्र.

उनवान

श्रीमती पुष्पा देवी धोबी पत्नि प्रभूलाल बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं
धोबी निवासी कोटा रोड, केन्द्रीय तहसीलदार भीलवाड़ा
विद्यालय के पीछे, मारुति नगर,
भीलवाड़ा।

—अपीलार्थिया

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :-प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 12.10.2021

अपीलार्थिया की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा के विरुद्ध दिनांक 20.09.2021 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थिया ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 52 एफ 184631 राशि 10.00 रु० के साथ एक आवेदन दिनांक 14.08.2021 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 27.09.2021 को पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थिया एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये तथा प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा पत्रांक 187 दिनांक 11.10.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थिया द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं :-

1. अपीलार्थी के आवेदन-पत्र मे चाही गयी सूचना हेतु नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क कार्यालय में जमा करा सूचना प्राप्त करने हेतु कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक 2297 दिनांक 09.09.2021 द्वारा प्रार्थिया को सूचित किया गया, किन्तु प्रार्थिया द्वारा आदिनांक तक उक्त वांछित राशि जमा नहीं कराये जाने से सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना की प्रतिलिपि शुल्क राशि अपीलार्थी द्वारा जमा कराकर सूचना प्राप्त नहीं करने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।

आदेश आज दिनांक 12-10 .2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।



(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा